

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक:- प. 10(4)कार्मिक/क-2/2023-08017

जयपुर, दिनांक : 08/07/2024

1. समस्त अति० मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर्स सहित)

परिपत्र

विषय:- सभी संवर्गों एवं पदों की वरिष्ठता सूची जारी करने एवं नियमित डीपीसी आयोजित किए जाने के संबंध में।

सभी सेवा नियमों में वरिष्ठता निर्धारण एवं पदोन्नति संबंधी विहित प्रावधानान्तर्गत विभिन्न पद/संवर्गों की प्रत्येक वर्ष एक अप्रैल की स्थिति में वरिष्ठता सूची तैयार कर प्रसारित करना एवं रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर पदोन्नति संबंधी कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 26.08.2023 द्वारा समयबद्ध रूप से डीपीसी आयोजित किये जाने के संबंध में निर्देश जारी किये गये थे, जिसके तहत 01 अप्रैल की स्थिति में अस्थाई वरिष्ठता सूचियों का प्रकाशन 01 जनवरी को किया जाकर, 01 अप्रैल को अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी करना एवं 31 मई तक पदोन्नति की कार्यवाही पूर्ण करना आवश्यक है।

वर्ष 2024-25 में आम चुनाव, 2024 की आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने एवं बजट वर्ष 2024-25 में की गई घोषणा की पालना में पदोन्नति हेतु वांछित अनुभव अथवा सेवा अनुभव में शिथिलन दिये जाने हेतु विविध सेवा नियमों में संशोधन प्रक्रियाधीन होने के कारण वर्ष 2024-25 की डीपीसी समय पर आयोजित नहीं की जा सकी। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 05.07.2024 द्वारा विविध सेवा नियमों में उक्तानुसार संशोधन कर पदोन्नति हेतु वांछित अनुभव अथवा सेवा अनुभव में 2 वर्ष तक का शिथिलन दिये जाने का प्रावधान कर दिया गया है।

अतः समस्त प्रशासनिक विभाग/विभागाध्यक्षों/नियुक्ति प्राधिकारियों को व्यादिष्ट किया जाता है कि जिन संवर्गों में डीपीसी आयोजित किये जाने हेतु अनुभव/सेवा अवधि के अनुभव में शिथिलन की आवश्यकता है, अधिसूचना दिनांक 05.07.2024 के अनुसार अनुभव में शिथिलन सहित 31 अगस्त 2024 तक आवश्यक रूप से सभी संवर्गों की वर्ष 2024-25 तक की सभी डीपीसी आयोजित कर पदोन्नति संबंधी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

(हेमन्त कुमार गेरा)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।

Document certified by HEMANT
KUMAR GERA <hkgera@gmail.com>.

Digitally Signed by Hemant Kumar
Gera

Designation: Principal Secretary

To Government Ref

Date :08-07-2024 15:42

38/2024